

Original Article

भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद पर अम्बेडकर के विचार

Dr. Ajit Kumar

Assistant Professor, Sri Aurobindo College

Email: ajitdu33@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2025-171221

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 12(A)

Pp. 102-106

December 2025

Submitted: 17 Nov. 2025

Revised: 27 Nov. 2025

Accepted: 12 Dec. 2025

Published: 31 Dec. 2025

Abstract

यह लेख दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जहाँ पहले भाग में रविन्द्र नाथ टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गाँधी और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिए गये राष्ट्रवाद के बारे में विचारों का वर्णन करता है वहीं दूसरे भाग में आंबेडकर के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की गयी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय राष्ट्रवाद के उन विशिष्ट चिंतकों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र की अवधारणा को केवल राजनीतिक या भौगोलिक परिभाषा तक सीमित न रखकर, उसे सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के आधार पर पुनः परिभाषित किया। अम्बेडकर के अनुसार, सच्चा राष्ट्र वही है जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले, और जहाँ समाज जाति, वर्ग या धर्म के विभाजन से मुक्त हो। यह शोधपत्र अम्बेडकर के राष्ट्रवाद के विचारों का विश्लेषण भारतीय परिप्रेक्ष्य में करता है, विशेष रूप से उनके संवैधानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता आधारित सामाजिक ढाँचे पर जोर के साथ। अम्बेडकर का राष्ट्रवाद नैतिकता, विवेक और सामाजिक समरसता पर आधारित है, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: अम्बेडकर, राष्ट्रवाद, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, भारतीय संविधान

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के पुनर्जागरण का प्रतीक था। भारत का राष्ट्रवाद अपनी प्रकृति में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मानवतावादी और समन्वयवादी रहा है। यह विचार पश्चिमी राष्ट्रवाद की संकीर्ण राजनीतिक परिभाषा से भिन्न है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अनेक भारतीय विचारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। जिनमें राजाराम मोहन राय से लेकर महात्मा गाँधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविन्द, सुभाषचंद्र बोस, भीमराव आंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक सभी ने अपने – अपने दृष्टिकोण से राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित किया। भारतीय राष्ट्रवाद केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि मनुष्य की मुक्ति और समाज की समरसता का दर्शन है। भारतीय राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार – भारत में राष्ट्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है।

ऋग्वेद में 'जन और राष्ट्र' शब्दों का उल्लेख मिलता है "जनं रयजयती इति राजः" अर्थात् राजा वही है जो अपने प्रजा को सुखी रखे। उपनिषदों और महाभारत में भी "वसुधैव कुटुम्बकम्" तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे श्लोक राष्ट्र को एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वही आधुनिक काल में यह भावना एक उपनिवेशिक शोषण के प्रतिकार के रूप में जागृत हुई, ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनैतिक रूप से एक किया लेकिन मानसिक रूप से विभाजित कर दिया। इसके विरोध में भारतीय विचारकों ने आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से राष्ट्रवाद का नया रूप गढ़ा। जहाँ पश्चिम में राष्ट्रवाद का आधार राजनीतिक प्रभुसत्ता और भू- क्षेत्रीय एकता रहा परन्तु भारत में राष्ट्रवाद का आधार संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता रहा।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdrvb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.18184581



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

Dr. Ajit Kumar, Assistant Professor, Sri Aurobindo College

How to cite this article:

Kumar, A. (2025). भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद पर अम्बेडकर के विचार. *Journal of Research and Development*, 17(12(A)), 102–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18184581>

भारतीय राष्ट्रवाद का विकास तीन प्रमुख चरणों में हुआ

- सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल (राजाराम मोहन राय, विवेकानंद इत्यादि)
- राजनीतिक मुक्ति का चरण (गाँधी, नेहरू, सुभाष)
- सामाजिक न्याय और पुनर्निर्माण का चरण (आंबेडकर, दीनदयाल आदि)

राजाराम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत –राजाराम मोहन राय ने समाज को अंध विश्वाश, रूढ़ीवाद और धर्मान्धता से मुक्त करने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से उन्होंने धार्मिक एकता, नैतिकता और तार्किक विचारधारा का प्रचार किया, उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और आधुनिक शिक्षा का समर्थन करते हुए भारतीय समाज को नवजागरण की दिशा दी। राजाराम मोहन राय ने तर्कशीलता, मानव अधिकार और सामाजिक सुधार के बीज बोए। स्वामी विवेकानन्द का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद – स्वामी विवेकानंद (1863- 1902) के अनुसार भारत की आत्मा धर्म और आध्यात्म में निहित है इन्होंने कहाँ की “भारत का पुनरुत्थान तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा को पहचानें” उनका राष्ट्रवाद आत्म गौरव और आत्म विश्व का प्रतीक था। उन्होंने युवाओं को भी संबोधित करते हुए कहा उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाय। उनका यह भी कहना था कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए युवाओं को शिक्षित, आत्म निर्भर और राष्ट्र प्रेमी बनना होगा। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता पर भी बल दिया उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं बल्कि विश्व मानवता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने पश्चिमी भौतिकवाद की आलोचना करते हुए आध्यात्मिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया। रविंद्रनाथ टैगोर का सांस्कृतिक एवं मानवतावादी राष्ट्रवाद— रविंद्रनाथ टैगोर (1861- 1914) ने राष्ट्रवाद को राजनीतिक सत्ता से अधिक मानवता और संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण या आक्रामक नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए जो समस्त मानवता को जोड़ सके उनके अनुसार “राष्ट्रवाद वह नहीं जो दूसरों से घृणा करे बल्कि वह जो सबको अपने में समाहित कर ले।” टैगोर ने यूरोपीय शैली के संकीर्ण राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की। अपनी प्रसिद्ध कृति ‘Nationalism’ (1917) में उन्होंने लिखा कि पश्चिमी राष्ट्रवाद यांत्रिक और स्वार्थ परक हैं जो मानवता के विरुद्ध है। उनका मत था की भारत का राष्ट्रवाद आत्मा की स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना इसी विचार से की शिक्षा का उद्देश्य विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है उनका राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुम्बकम् के भारतीय आदर्श का पुनर्पाठ था।

महात्मा गाँधी का समावेशी राष्ट्रवाद – गाँधी जी का राष्ट्रवाद नैतिकता, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने राष्ट्र को एक जीवंत इकाई के रूप में देखा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य समाज के प्रति उतरदायित्व निभाना है। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्म शासन और आत्म सुधार था। उन्होंने ग्रामोन्मुख, स्वदेशी, नैतिकता और समरस समाज की अवधारणा पर बल दिया। गाँधी जी में सभी जातियों को सामान दृष्टि से देखा, वे कहते थे “मैं हिन्दू हूँ, मुसलमान भी हूँ, इसाई और यहूदी भी।” उनका राष्ट्रवाद धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का प्रतीक था।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद – दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रवाद भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक परम्परा पर आधारित था उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। उनमें व्यक्ति समाज, प्रकृति और ईश्वर के बीच संतुलन की बात कही गयी। उनका मानना था कि पश्चिमी विचारधाराएं पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों अधूरे हैं क्योंकि वे मानव को केवल आर्थिक इकाई मानते हैं। उनका राष्ट्रवाद स्वदेशी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और अन्त्योदय के सिद्धान्तों पर आधारित था। उनका कहना था कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। आंबेडकर का राष्ट्रवाद न केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के रूप में है, बल्कि भारतीय परिवेश में सामाजिक संरचना में ‘दलितों’ के शोषण और ‘अस्पृश्यता’ के विरुद्ध भी था। आंबेडकर के राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व भारतीय नागरिकों के बीच एकीकृत साझा हित था, जो पुरातन सामाजिक संरचना में दलित-शोषित वर्ग की ‘सामाजिक पहचान, आर्थिक पुनर्वितरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व’ के बिना संभव नहीं हो सकता। डॉ. आंबेडकर के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है - नागरिक जीवन का अधिकार और एकता के सूत्र में बंधे कर्तव्य बोध। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “*थाॅट्स ऑन पाकिस्तान*” में डॉ. कहते हैं कि- “राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में अंतर है। ये मानव मन की दो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाएँ हैं। राष्ट्रीयता का अर्थ है “प्रकार की चेतना, नातेदारी के बंधन के अस्तित्व का बोध।” जबकि राष्ट्रवाद का अर्थ है “इस नातेदारी के बंधन से बंधे लोगों के लिए अलग राष्ट्रीय अस्तित्व की इच्छा।” आंबेडकर का राष्ट्रवाद एक नई दलित क्रांतिकारी विचारधारा के साथ प्रकट हुआ, जिसे राष्ट्रवाद का सबाल्टर्न रूप कहा जा सकता है। जिसमें समाज के कमज़ोर, वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान की बात की जाती है ताकि उन्हें समाज को मुख्यधारा में लाया जा सके। आंबेडकर के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि भारत को रूढ़िवादी परंपराओं और संस्थाओं से मुक्त करके एक आधुनिक राष्ट्र बनाना भी था। डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक असमानता और अस्पृश्यता से भारत की मुक्ति के बारे में राष्ट्रवाद का एक विवेचन किया। इन वंचित लोगों की मुक्ति के बिना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा था। सदी के पिछले आधे हिस्से में भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष केवल विदेशी शासन से राजनीतिक सत्ता छीनने का संघर्ष नहीं था, बल्कि समाज को पुरानी सामाजिक संस्थाओं, विश्वासों और दृष्टिकोणों से मुक्त करके एक आधुनिक भारत की नींव रखने का संघर्ष भी था। 1948 में संविधान सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा,

“मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूँगा जो भारत को सभी प्रकार की दासता और संरक्षण से मुक्त करेगा... मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी प्रभावशाली

आवाज़ है, एक ऐसा भारत जिसमें कोई ऊँच-नीच नहीं होगा, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव से रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं हो सकती... महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे... मुझे किसी और चीज़ से संतुष्टि नहीं होगी।" आंबेडकर ने अपनी 55 वीं जयंती के एक सम्मान समारोह में स्पष्ट रूप से कहा था, "मैं इस देश में रहने वाले अपने लोगों के प्रति वफ़ादार हूँ। मैं इस देश के प्रति भी वफ़ादार हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप भी यही चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि यह देश आज़ाद हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा आचरण इसी से निर्देशित रहा है।" डॉ. आंबेडकर का मानना था कि, 'सामाजिक एकता राष्ट्रवाद का आधार है, अलगाववाद का नहीं।' पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से प्रभावित होकर, आंबेडकर ने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद, सामाजिक क्षेत्र में समुदायवाद, धार्मिक क्षेत्र में कट्टरवाद और वैज्ञानिक प्रगति के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सामूहिक संभावना पर श्रद्धा लगाया। उनका मानना था कि इन सबमें एकीकरण आवश्यक है। वे फ्रांसीसी राष्ट्रीय क्रांति के नारे - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व - से अत्यंत प्रेरित थे। उनका मानना था कि भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए 'हम लोग' और 'साझा हित' की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था कि, "जातीय चेतना भाईचारे और समानता के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्रत्येक जाति के अपने-अपने हित होते हैं और जातियाँ श्रेणियों में बँट जाती हैं। अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें इस कमज़ोरी को जल्द से जल्द दूर करना होगा।" डॉ. आंबेडकर का कहना था कि 'एकीकृत ब्रिटिश शासन ने भारत में एक साझा हित को जन्म दिया है।' इस प्रकार उन्होंने गांधी, विवेकानंद और सावरकर आदि की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के विरुद्ध शुद्ध राजनीतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाया।

डॉ. आंबेडकर का राष्ट्रवाद समाज में दलित और उत्पीड़ित वर्ग के लिए पहचान, पुनर्वितरण और प्रतिनिधित्व की वकालत करता है, जिसके तत्व वे बौद्ध धर्म में देखते हैं, उन्होंने 'वित्त और मौद्रिक अर्थशास्त्र: ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त' में लिखा कि- "भारत में शोषणकारी अभिजात्य ढांचे को तोड़ने में अंग्रेजों का सहयोग लेना राष्ट्रीयता के हित में था।"

उन्होंने "ब्रिटिश शासन के दौरान, राजनीतिक स्वतंत्रता के मुद्दे को सामाजिक सुधार पर प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुओं से जाति को समाप्त करने का आह्वान किया जो एक सामाजिक सुधार था। वह एकजुटता के लिए एक बड़ी बाधा थी जिसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक था।

'द इवोल्यूशन ऑफ़ द पब्लिक फाइनेंस इन ईस्ट इंडिया' और 'प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी' नामक कृतियों में 'आर्थिक पलायन' के सिद्धांत का संपादन करते हुए उन्होंने लिखा कि, "दलितों के राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित किए बिना ही सामंती लड़ाई से भारत को क्षति पहुँची; जो ब्रिटिश सरकार की मदद से संभव प्रतीत होता है।" जबकि दूसरी ओर एक दुविधा यह भी है कि यदि अंग्रेज लंबे समय तक भारत में रहे तो वे भारत का और अधिक शोषण करेंगे। इसलिए हम भारतीयों को इस सत्य को समझना होगा कि समाज के दलितों को मुख्यधारा में लाए बिना भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना संभव नहीं है। आंबेडकर का मानना था कि, "जातिगत चेतना के कारण हिंदुओं में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पूर्ण अभाव है, ऐसी स्थिति में भारत को एक राष्ट्र मानना वास्तविकता से परे है।"

राजनीतिक क्षेत्र में भी, उन्हें लगा कि प्रभुत्वशाली जातियाँ दलितों को अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगी। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की माँग की, जिसे अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड्स के 'सांप्रदायिक पंचाट' में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने दलितों के लिए 'स्व-प्रतिनिधित्व' को सर्वोच्च महत्व दिया। उनका मत था कि, "अछूतों को प्रायः दया का एकमात्र पात्र माना जाता है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में उन्हें हमेशा यह सोचकर नकार दिया जाता है कि उनका कोई हित नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि उनके हित सर्वोपरि हैं।" ऐसा नहीं है कि कोई उनकी संपत्ति ज़ब्त कर रहा है, बल्कि उनका पूरा अस्तित्व ही ज़ब्त कर लिया गया है। अछूतों को कभी नागरिक नहीं माना गया। उनके पास ऐसे कोई नागरिक अधिकार नहीं थे जैसे: 1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 2. व्यक्तिगत सुरक्षा, 3. निजी संपत्ति रखने का अधिकार, 4. न्याय की समानता, 5. अंतःकरण की स्वतंत्रता, 6. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 7. शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, 8. राष्ट्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार, 9. राज्य में पद धारण करने की स्वतंत्रता।

डॉ. आंबेडकर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में, डॉ. आंबेडकर अर्नेस्ट गेलनर की राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित थे, जिसमें गेलनर का मूल वाक्य था, "एक साथ रहने में सतत जनमत संग्रह ही राष्ट्रवाद है।" और आंबेडकर के लिए यह परिकल्पना शांतिपूर्ण सामूहिकता पर आधारित 'सह-अस्तित्व' के 'बौद्ध दर्शन' में मिलती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत स्तर पर सह-अस्तित्व संभव है, लेकिन वृहद स्तर पर इसकी स्थापना के लिए सामाजिक मूल्यों में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा; यहाँ उनका तात्पर्य 'अंतरजातीय विवाह' संबंधों से है।

राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समाज में सामूहिक हित की स्थापना के लिए गेलनर की ऐतिहासिक 'विस्मृति' की अवधारणा भी आवश्यक है। जिसके लिए रूढ़िवादी परंपराओं को जड़ से उखाड़ने हेतु रूढ़िवादी प्रतीकों को

तोड़ना होगा। इसी कड़ी में मनुस्मृति की प्रतियों का दहन, मंदिर प्रवेश और अन्य अछूतोद्धार कार्यक्रम डॉ. आंबेडकर द्वारा चलाए गए। आंबेडकर के विचार में, हिंदू धर्म असमानता और दलितों के उत्पीड़न पर आधारित था। इसने उन्हें एक ऐसे वैकल्पिक धर्म में धर्मांतरण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जो दलितों को समान रूप से स्वीकार करे, एक ऐसी खोज जिसकी परिणति 1956 में बड़ी संख्या में दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने के साथ हुई।

आंबेडकर इससे सहमत थे, क्योंकि दो विश्व युद्धों की विभीषिका ने पश्चिमी राष्ट्रवाद की पोल खोल दी थी। राष्ट्रवाद केवल साझी विरासत और गौरव की भावना पर ही विकसित नहीं होता, जब तक उसमें एक बहिर्मुखी समाज निवास करता है। अतः यदि एक नए भारत का निर्माण करना है, तो 'विचारों के इतिहास' के आधार पर एक समानता आधारित 'प्रबुद्ध भारत' का निर्माण करना होगा। यहाँ आंबेडकर बनेडिक्ट एंडरसन के 'कल्पित समुदाय' से प्रभावित दिखाई देते हैं, जो एक प्रबुद्ध वर्ग अर्थात् गुणात्मक है। हालाँकि, अनेक मान्यताओं के विपरीत, आंबेडकर आर्यों को विदेशी नहीं मानते थे। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों तथा दलित वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं से उत्पन्न दोषों के पर्याय के रूप में 'सामूहिक समावेश' के रूप में देखा जा सकता है। आंबेडकर का मानना है कि, "नायक पूजा स्वतंत्र चिंतन में बाधा डालती है, यानी प्राचीन समाज (राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा) 'जैविक समाज' की अवधारणा के विरुद्ध है क्योंकि यह लोगों को भेड़-बकरियों का शिकार बनाती है।" इसलिए आंबेडकर सांस्कृतिक और धार्मिक की तुलना राजनीतिक राष्ट्रवाद से करने की बात करते हैं, जो आज भी उतना ही तार्किक है।

निष्कर्ष

आंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना में अद्वितीय, उपयोगी, न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान अनुकरणीय है। सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष और दलितों के संगठन के लिए अग्रणी आंदोलन 'भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करने' का एक अभिन्न अंग है। आज, जब सभी विचार समावेशी राजनीति के इर्द-गिर्द घूमते हैं, आंबेडकर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। राष्ट्रवाद सामाजिक आत्मसात की एक गतिशील प्रक्रिया है और इसलिए राष्ट्रवाद का अर्थ जाति, रंग और पंथ के भेद के बिना पुरुषों के सामाजिक भाईचारे की प्राप्ति में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना है। राष्ट्रवाद मानवतावाद या व्यक्तिवाद का विरोधी नहीं है। एक राष्ट्रवादी ढाँचे के भीतर व्यक्ति पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। सभी को सोचने, विकसित होने और स्वतंत्र होने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में, राष्ट्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम संस्था है। हमें कतार में खड़ी अंतिम व्यक्ति को शामिल करने की आवश्यकता है। डॉ. आंबेडकर का मानना था, "राष्ट्रवाद का अर्थ नागरिक जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कर्तव्य की भावना के कारण समाज में एकता और सामूहिकता की भावना है। समाज में एकता की भावना बढ़ाने वाले तत्वों की आवश्यकता है।" आज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य को एक इंसान के रूप में सम्मान दिया जाए और उसके साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या किसी भी कृत्रिम नकली अवधारणा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा मानवतावाद या व्यक्तिवाद के विपरीत नहीं, बल्कि एक दुसरे के पूरक हो। राष्ट्रवादी ढाँचे के भीतर व्यक्ति पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। सभी को सोचने, विकसित होने और स्वतंत्र होने के लिए जगह चाहिए।

संदर्भग्रन्थ सूची

1. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर (1979 से 1995), लेखन और भाषण खंड 1-13, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
2. अम्बेडकर, वी.आर. (1940). पाकिस्तान पर विचार, बॉम्बे: ठक्कर एंड कंपनी. पृष्ठ 78
3. डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर (1990), लेखन और भाषण खंड 5, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। पृष्ठ 29
4. डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर (1990), लेखन और भाषण खंड 7, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। पृष्ठ 50-51
5. माधव, राम। (2013) 'राष्ट्रम: 'राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक नैतिक अवधारणा'
6. URL:- <http://www.rammadhav.in/articles/raashtram-spiritual-ethical-concept-of-nationhood/>
7. पुनियानी, राम. (2015). 'उपनिवेशवाद ने भारत के साथ क्या किया'
8. यूआरएल:- <http://kafila.org/2015/08/13/what-did-colonialism-do-to-india-ram-puniyani/>
9. गायकवाड़, एस.एम. (1998) अम्बेडकर और भारतीय राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 33, अंक 10 (7-13 मार्च, 1998), पृष्ठ 515



Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: <https://jrdrv.org> Volume-17, Issue-12(A)| December 2025

10. भारती, के.एस. (1998) द पॉलिटिकल थॉट ऑफ अंबेडकर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एमिनेंट थिंक्स, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पृ.29
11. जाधव, नरेंद्र. (2013) मेरी वफादारी हमारे लोगों के प्रति है और इस देश के प्रति भी, अंबेडकर स्पीक्स खंड 1, नई दिल्ली: कोणार्क पब्लिशर्स, पृष्ठ 48
12. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर. (1994), लेखन और भाषण खंड 11, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार. पृ.1216-17
13. चिटनिस, एमबी (2014) एट अल. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर में 'परिचय': लेखन और भाषण, खंड 1 वसंत मून द्वारा संकलित, पृष्ठ xiv.
14. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर. (1994), लेखन और भाषण खंड 11, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार. पृ.1218
15. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर (1979), लेखन और भाषण खंड 1, मुंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। पृष्ठ 255-56
16. 'बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया', दलित नेशन (14 दिसंबर, 2007 सुबह 7:55 बजे)<https://dalitnation.wordpress.com/2007/12/14/why-babasaheb-converted-to-buddhism/>
17. पुनियानी, राम. 'भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर की कठिनाइयाँ'